रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/98

REGISTERED NO. D.L.—33002/98

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 1998/कार्तिक 4, 1920 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 275

No. 180] DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 1998/KARTIKA 4, 1920 [N.C.T.D. No. 275

भाग-IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूवि व भवन विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1998

सं. एफ-7(35)/93/भू. व. भ./भू. अ./10035.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के लिये भूमि का सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के तेल डिपो के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना संभावित है। अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिये भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन सर्व संबंधित के लिये प्रचलित की जाती है।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तुरन्त कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने के सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिये सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

उपराज्यपाल इससे भी संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 के उपधारा (1) के उपखंड इस भूमि पर लागू हैं, उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन सहर्ष यह भी निर्देश है कि धारा 5-क के उपबंध लागू नहीं होंगे।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)	खसरा नं.	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
बिजवासन	1-11	32/17/2 मिन	1-11

आदेश से,

जे. के. रावल, उप-सचिव

LAND & BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1998

No. F. 7(35)/93/L&B/LA/10035.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government for a public purpose, namely for the construction of Petroleum Oil Depot by Hindustan Petroleum Corporation Ltd. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorised the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and so all other acts required or permitted by that section.

The Lt. Governor is satisfied also that provisions of sub-section (i) of the section 17 of the said Act are applicable to this land and is further pleased under sub-section (4) of the said section to direct that all the provisions of section 5(a) shall not apply.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa)
Bijwasan	1-11	32/17/2 min	1-11

By Order,

J. K. RAWAL, Dy. Secy.

विभाग गृह—तृतीय

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1998

एफ-16(29)/97/एच-III/आर. आर./2631.—गृह मन्त्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या एफ 24/78/68-डी एच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन, दिल्ली अग्निशमन सेवा में 'स्टेशन-अधिकारी' के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं एवं भर्ती पद्धति के सम्बन्ध में संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं, और दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत लागू स्टेशन अधिकारी (अग्नि) के पद हेतु भर्ती नियमों को जो कि अधिसूचना संख्या एफ. 9/65/83 स्थानीय स्वशासन विभाग दिनांक 27 मार्च 1987 द्वारा अधिसूचित किये गये थे, को निरस्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार

संस्था का नाम : दिल्ली अग्निशमन सेवा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार

फाईल संख्या : एफ. 16(29)/97/एच-III/आर. आर

स्टेशन अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियम :

मन्त्रालय : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	क्या पद चयनित है या बिना चयन	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	क्या अतिरिक्त वर्षों की सेवा का लाभ ग्राह्य है ?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टेशन अधिकारी	50 (1998) इमसें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	'ख' वर्गीय गैरलिपिक राजपत्रित	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-जमा (+) रुपये 400/- विशेष वेतन मासिक तथा रुपये 50/- मासिक वेतन	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। टिप्पणी : आयु सीमा के निर्धारण की अंतिम तिथि भारत में उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक होगी। (आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, लाहोल व स्पीति जिला, चम्बा जिले की पन्जी तहसील (हिमाचल प्रदेश) अंडमान व निकोबार लक्षद्वीप समूह क्षेत्रों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि आयु सीमा निर्धारण हेतु लागू नहीं होगी।	

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारण आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी ?	परिवीक्षा का समय यदि है तो	भर्ती पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य :— (अ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष विज्ञान स्नातक को वरीयता दी जायेगी। (2) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा, महाविद्यालय नागपुर से स्टेशन-अधिकारी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या ग्रेड आई फायर ई या समकक्ष। (3) उपअधिकारी के पद पर किसी अग्नि शमन सेवा में नागरिक/रक्षा संगठन/सार्वजनिक उपक्रम में नियमित तीन वर्ष का अग्निशमन का अनुभव या समकक्ष। (4) न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड निम्नवत होना चाहिए ऊँचाई—165 से.मी. (पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों के लिए 5 सें. मी. की छूट) न्यूनतम वजन—50 किलोग्राम, सीना (छाती) सामान्य—81 से. मी. छाती फुलाने के बाद 86.5 से.मी. या (ब) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियर (अग्नि) में स्नातक या समकक्ष। (ii) निम्नवत् न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड होना चाहिए अर्थात् ऊंचाई—165 से.मी. (पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों के लिए 5 से.मी. की छूट)	आयु सीमा—नहीं शैक्षिक योग्यता—कॉलम-12 में दर्शाए गये अनुसार	सीधी भर्ती से आये तथा पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। स्टेशन अधिकारी के पद पर कार्यरत नियमित पदधारी पूर्व संशोधित वेतनमान रुपये 500–20–700–ई. बी.–25–900, जिसमें रुपये 130 प्रतिमाह विशेष वेतन भी शामिल है। इन नियमों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से वेतनमान मूलतः रुपये 2000–60–2300 ई.बी.–75–3200 जिसमें रुपये 400/– प्रतिमाह विशेष वेतन रुपये 50/– प्रतिमाह जोखिम वेतन भी शामिल है, के वेतनमान में स्टेशन अधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ माना जायेगा।

(8)		
न्यूनतम वजन—50 कि.ग्रा., सीना (सामान्य), 81 से.मी., सीना (फुलाव के बाद)—86.5 से.मी.। वांछनीय योग्यता—भारी वाहन चलाने का वैद्य लाईसेन्स। टीप 1—शैक्षिक योग्यता में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है, यदि उम्मीदवार विशिष्ट योग्यता रखता है। टीप 2—योग्यताएँ अनुभव के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है, यदि संघ लोक सेवा आयोग चयन के किसी स्तर पर यह मानता है कि आरक्षित पदों हेतु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से पूरी नहीं की जा सकेगी। टीप 3—चयनित/नियुक्त व्यक्तियों को दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अस्पताल के चिकित्सक बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके शरीर में या किसी अंग विशेष में कोई कमी तो नहीं है या व्यक्ति को जन्मतः वंशानुगत बीमारी से पीड़ित नहीं है।		

यदि भर्ती, पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होनी हो तो, वे ग्रेड जिनमें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना हो।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे अवसर, जिनमें संघ 'लोक सेवा आयोग' को परामर्श नियम बनाने के लिए लेना हो।
(12)	(13)	(14)
पदोन्नति—उपअधिकारी (अग्नि) वेतनमान रूपये 1600-2660 के ग्रेड में, पाँच वर्ष की नियमित सेवा तथा निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं हों। 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण या समकक्ष। 2. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर से स्टेशन अधिकारी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या समकक्ष। टीप-जहाँ अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ अधिकारीगण पदोन्नति के लिए विचारणीय है, वहाँ पर उनके वरिष्ठ अधिकारीगण भी विचारणीय होंगे कि दो वर्ष ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि से उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा आधे से अधिक कम न हो, जो भी इनमें से कम है और आसन्न उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपने कनिष्ठ अधिकारीगण के साथ उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता-पूर्वक पूरी कर ली जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है।	वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/पुष्टिकरण निर्धारण हेतु) 1. विकास आयुक्त, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-अध्यक्ष। 2. मुख्य सचिव/सचिव (गृह), दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-सदस्य 3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी-सदस्य। टिप्पणी : विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सीधी भर्ती के प्रत्याशियों के स्थाईकरण निर्धारण की, कार्यवाही की रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग को अनुमोदन हेतु प्रेषित करनी होगी। बहरहाल यदि यह रिपोर्ट आयोग से अनुमोदित नहीं की जाती है, तो उस अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन या सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की नए सिरे से बैठक होगी।	सीधी भर्ती हेतु भर्ती नियम बनाते समय, संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अनिवार्य है

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
एस.सी. पाटनी, उपसचिव

HOME-III DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th October, 1998

No. F.16(29)/97/H-III/R.R./2631.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the rules in the Schedule hereto annexed, regarding the method of recruitment and qualification necesssary for appointment to the post of Station Officer in the office of Delhi Fire Service, Govt. of N.C.T. of Delhi and cancel the recruitment rules for the post of Station Officer in the Municipal Corporation of Delhi Notified vide Notification No.F.9/65/83-LSG dated the 27th March, 1987.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible
1	2	3	4	5	6	7
Station Officer	50* *1998 Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministrial, "Gazatted"	2000-60-2300-EB-75-3200 plus Rs. 400 Spl. Pay p.m. & Risk Pay Rs. 50/- p.m.	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahual & Spiti District & Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands of Lakshdweep).	No.

Educational and other Qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of Rectt. : Whether by direct rectt., or by promotion or by deputation/transfer & percentage of vacancies to be filled by various methods.
8	9	10	11
Essential : A 1. A degree preferably in Science from a recognised University or equivalent. 2. Station Officer's Course of NFSC, Nagpur or Grade I Fire 'E' or Equivalent. 3. 3 years experience in fire fighting in civil/defence fire service organisation/ public undertaking in the capacity of sub officer or equivalent. 4. Should have minimum physical standard i.e. height-165 cms (relaxation of 5 cms for hilly area people); Min. Weight : 50 Kgs. Chest (normal) : 81 cms. Chest (expanded) : 86.5 cms. OR B 1. Bachelor of Engineering (Fire) from a recognised university/institution or equivalent.	1. Age : No 2. Essential Qualifications : To be extent indicated in col. 12.	Two years for direct recruits and promotees.	50% by promotion failing which by direct recruitment. 50% by direct recruitment. Note: The existing regular incumbent of the post of Station Officer in the pre-revised scale of pay of Rs. 500-20-700-EB-25-900 plus Rs. 130 p.m. Spl. Pay, on the date of notification of these rules will be deemed to have been appointed to the post of Station Officer in the scale of pay of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200 plus Rs. 400/- Spl. Pay and Rs. 50/- p.m. risk pay, at the initial Constituion

2804 DG/98-2

8	9	10	11
(2) Should have minimum physical standard i.e. height - 165 cms (relaxation of 5 cms for hilly area people); Minimum weight -50Kgs, Chest (Normal)- 81 Cms. Chest expanded - 86.5. Cms. **Desirable** Heavy vehicle driving licence. Note 1 : Qaulifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of U.P.S.C. in the case of candidates belonging to scheduled castes and scheduled tribes if, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Note : Person selected/appointed shall have to produce Medical Certificate from Medical Board of Govt. of NCT of Delhi to the effect that the individual is able bodies and does not have any deficiency in any limb and is not suffering from any contagious disease.			

In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
12	13	14
Promotion : Sub Officer in the scale of pay of Rs. 1600-2660 with 5 years regular service in the grade and possessing the following qualification. i. Passed matriculation from a recognised board/ university or equivalent; ii. Passed Station Officer Course from NFSC, Nagpur or equivalent. Note : Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their promotion period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.	Group 'B' DPC (for considering promotion/ confirmation: 1. Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi. - Chairman 2. Principal Secretary/Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi. - Member 3. Chief Fire Officer - Member Note : The proceedings of the D.P.C. relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Consultation with UPSC necessary while making direct recruitment.

By Order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

S. C. PATNEY, Dy. Secy.

कार्यालय आयुक्त पुलिस

अधिसूचना

दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1998

संख्या 764वि.स.(न्यायिक):—सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखने को ध्यान में रखते हुए दिनांक 11-9-98 को श्री मो० सलीम उर्फ सलीम उर्फ पत्तेवाला पुत्र श्री सरदार अली निवासी-894, हवेली आजम खाँ, चितली कबर, दिल्ली के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के अन्तर्गत नजरबन्दी आदेश जारी किये गये थे और निष्पादन के लिए पुलिस उपायुक्त, मध्य जिला, दिल्ली को दिये गये थे। यह रिपोर्ट की गई है कि उपयुक्त मो० सलीम उर्फ सलीम उर्फ पत्तेवाला फरार है और अपने नजरबन्दी आदेश से बचने के लिए स्वयं को छिपा रहा है।

यह सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री मो० सलीम उर्फ सलीम उर्फ पत्तेवाला अपने नजरबन्दी आदेश से निष्पादन के लिए सरकारी राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख के 30 दिन के अन्दर-अन्दर स्वयं को पुलिस उपायुक्त, मध्य जिला, दिल्ली के सामने उनके दरिया गंज, दिल्ली स्थित कार्यालय उपस्थित करे, अन्यथा उक्त श्री मो० सलीम उर्फ सलीम उर्फ पत्तेवाला के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 7(3) के अन्तर्गत अभियोग भी चलाया जा सकता है।

वी. एन. सिंह, आयुक्त पुलिस, दिल्ली

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE

NOTIFICATION

Delhi, the 20th October, 1998

No. 764/LA-JUDL.—"Keeping in view the maintenance of public order, the detention order under Section 3(2) of the National Security Act, 1980 was issued against Shri Mohd. Saleem @ Saleem @ Pattewala R/o 894, Haveli Azam Khan, Chitli Qabar, Delhi on 11-9-1998 and was given to the Deputy Commissioner of Police, Central District, Delhi for execution. It is reported that the said Mohd. Saleem @ Saleem @ Pattewala is absconding and concealing himself with a view to avoid the execution of his detention order.

It is notified for information that the said Mohd. Saleem @ Saleem @ Pattewala should present himself for execution of detention order before the Deputy Commissioner of Police, Central District, Delhi within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette otherwise the said Mohd. Saleem @ Saleem @ Pattewala should also be liable for prosecution U/s 7(3) of the National Security Act, 1980.

V. N. SINGH, Commissioner of Police : Delhi.

गृह (पुलिस II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1998

स. फा. 25(23)/98-गृ.पु. II/7417.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 29 मई, 1987 की अधिसूचना सं. फा. 6/5/87 के साथ पठित आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1987 (1987 का 28) की धारा 1 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (4) व (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्रीमती शारदा अग्रवाल को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली को नामजद न्यायालय I में नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली तथा दक्षिणी, पश्चिमी पुलिस के जिलों के लिये पटियाला हाऊस न्यायालय परिसर, नई दिल्ली में, श्री एम.ए.खान जो कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नियुक्त किये गये है, के स्थान पर आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1987 के तहत नियुक्त करते हैं।

इस सरकार की दिनांक 8 मई, 1997 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. 25(23)/97 गृ०पु० II उपरोक्त सीमा तक संशोधित की गई है।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

एस. सी. सरीन, अतिरिक्त सचिव

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th October, 1998

No. F.25(23)/98/HP-II/7417.—In exercise of the powers conferred by sub sections (4) and (5) of section 9 read with clause (d) of sub-section (4) of section 1 of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 (28 of 1987) and the Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F. 6/5/87-Legal Cell dated 29th May, 1987, and with the concurrence of Hon'ble the Acting Chief Justice of the High Court of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Ms. Sharda Aggarwal, Additional Sessions Judge, New Delhi as Judge of the Designated Court I under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 (28 of 1987) for New Delhi, South and South West Police Districts at Patiala House Court Complex, New Delhi in place of Shri M.A. Khan who has been appointed as District and Sessions Judge, Delhi.

This Government's earlier notification No. F. 25(23)97/HP-II dated 8th May, 1997 is modified to the above extent.

By Order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

S. C. SAREEN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1998.